फर्द अहकाम

भगवाना/उर्फ नारायण बनाम राज० सरकार व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 70/2017 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	24/5/19	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/6/19 को पेश हो।	
	28/6/19	प.फ. उप० बहस सुनी गई। दस्तावेज पेश हुए जो शा० मि० किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–70/2017

उनवान

भगवाना उर्फ नारायण पुत्र स्व0 श्री बोदूराम, उम्र 57 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. छीतर पुत्र स्व0 बोदूराम , उम्र 59 वर्ष करीब
3. रुघनाथ पुत्र स्व0 बोदूराम , उम्र 55 वर्ष करीब
4. हणुता पुत्र स्व0 बोदूराम, उम्र 52 वर्ष करीब
5. गणपत पुत्र केशर, उम्र 33 वर्ष करीब
6. रुकमा देवी पत्नि केशर, उम्र 65 वर्ष करीब
7. प्रभात पुत्र स्व0 माना, उम्र 60 वर्ष करीब
8. बाबूलाल पुत्र स्व0 माना, उम्र 45 वर्ष करीब
9. मंगला पुत्र स्व0 माना, उम्र 40 वर्ष करीब
10. कैलाश पुत्र स्व0 माना, उम्र 35 वर्ष करीब

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

11. शाखा प्रबन्धक ओ0बी0सी0 बैंक शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. शाखा प्रबन्धक ओ0बी0सी0 बैंक शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :–28.06.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम चेता का बास पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 1660, 1661, 1662, 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2027, 2031, 2034, 2042, 2043, 2044

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

कुल किता 15 का कुल रकबा 12.15 है0 भूमि तथा खसरा नं0 1659, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2016, 2023, 2024, 2025, 2026, 2030, 2032, 2033 कुल किता 15 का कुल रकबा 6.35 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का हिस्सा 1/12 भाग दर्ज है व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 10 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 की माता प्रतिवादी सं0 5 की दादी प्रतिवादी सं0 6 की सास स्व0 सुन्दरी देवी पत्नि बोदू का स्वर्गवास दिनांक 21.01.2016 को हो गया है जिसका विरासत नामान्तकरण उसके वारिस वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 अपने पक्ष में खुलवाने की कार्यवाही चला रखी है जो अन्तिम चरण में है।

उक्त खातेदारी भूमि के साबिक ग्राम भूतेड़ा, तहसील आमेर के साबिक खसरा नं0 601 से 613, 713/4 कुल किता 13 का कुल रकबा 73 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 में वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 5 के दादा व प्रतिवादी सं0 6 के ससुर बोदू पुत्र जीवण के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज बाकी हिस्सा मन्ना के वारिसान के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 व प्रतिवादी सं0 5 के दादा व प्रतिवादी सं0 6 के ससुर खातेदार बोदू पुत्र जीवण का स्वर्गवास वर्ष 1978 में हो जाने पर मृतक खातेदार बोदू का विरासत नामान्तकरण सं0 291 दिनांक 18.11.1978 को उसके वारिस वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 व प्रतिवादीगण सं0 5, 6 के पिता/पति केशरा के पक्ष में स्वीकार हुआ। नामान्तकरण सं0 291 के दर्ज होते समय वादी को भगवाना के नाम से जाने जाने पर भगवाना नाम दर्ज हो गया। जबकि वादी का नाम नारायण था, वादी वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय, दिल्ली रोड़, हिसार डियू का नाम एफ0एस0डी0 रेल हैड सिरसा के पद पर नौकरी कर रहा है, नौकरी सर्विस बुक, सर्विस कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में वादी का नाम नारायण दर्ज है और राजस्व रिकॉर्ड में भगवाना दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 की माता प्रतिवादी सं0 5 की दादी प्रतिवादी सं0 6 की सास स्व0 सुन्दरी देवी पत्नि बोदू के नाम से दर्ज 1/12 भाग की खातेदारी भूमि का विरासत अपने हक में खुलवाने बाबत खातेदार सुन्दरी पत्नि बोदू की फौती पर उसके कानूनी वारिसान का सजरा कुर्सीनामा ग्राम पंचायत भूतेड़ा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ से दिनांक 12.06.2017 को प्राप्त किया है। उसमें अन्य वारिसान के साथ भगवाना उर्फ नारायण (पुत्र) के रुप में दर्ज कर रखा है। वादी को घर व गांव में भगवाना के नाम से अधिक जानते थे, जिस कारण से बोदू का विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाते समय भगवाना के नाम से दर्ज करवाकर तस्दीक फरमा दिया। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भगवाना दर्ज होने व अन्य रिकॉर्ड में वादी का नाम नारायण होने के कारण भिन्नता हो गई है। वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

गया है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाद में वर्णित आराजी खसरा नं0 1660, 1661, 1662, 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2027, 2031, 2034, 2042, 2043, 2044 कुल किता 15 का कुल रकबा 12.15 है0 भूमि तथा खसरा नं0 1659, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2016, 2023, 2024, 2025, 2026, 2030, 2032, 2033 कुल किता 15 का कुल रकबा 6.35 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भगवाना पुत्र बोदू के स्थान पर नारायण पुत्र बोदू की घोषणा की जावे तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जाकर वादी का नाम उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे।

प्रतिवादी सं0 2 ता 6 की ओर से जवाब वाद पत्र पेश किया जिसके मुताबिक भगवाना पुत्र बोदू व नारायण पुत्र बोदू एक ही व्यक्ति हैं तथा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति जताई गई है। वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में समस्त सर्विस कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत भूतेड़ा द्वारा जारी कुर्सीनामा इत्यादि वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार चौमूं की ओर से भी जवाब वाद पत्र द्वारा पेश किया गया है जिसके मुताबिक वादी का नाम भगवाना पुत्र बोदू के स्थान पर नारायण पुत्र बोदू की दुरुस्ती की जाती है तो सरकारी हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में अपना नाम भगवाना पुत्र बोदू के स्थान पर नारायण पुत्र बोदू दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार, तहसील चौमूं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भगवाना पुत्र बोदू व नारायण पुत्र बोदू दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में भगवाना पुत्र बोदू के स्थान पर भगवाना उर्फ नारायण पुत्र बोदू नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम चेता का बास, पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 1660, 1661, 1662, 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2027, 2031, 2034, 2042, 2043, 2044 कुल किता 15 का कुल रकबा 12.15 है0 भूमि तथा खसरा नं0 1659, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2016, 2023, 2024, 2025, 2026, 2030, 2032, 2033 कुल किता 15 का कुल रकबा 6.35 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भगवाना पुत्र बोदू के स्थान पर भगवाना उर्फ नारायण पुत्र बोदू की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–70/2017
उनवान– सुण्डाराम बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 28.06.2019

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–70/2017

उनवान

भगवाना उर्फ नारायण पुत्र स्व0 श्री वोदूराम, उम्र 57 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. छीतर पुत्र स्व0 वोदूराम , उम्र 59 वर्ष करीब
3. रुघनाथ पुत्र स्व0 वोदूराम , उम्र 55 वर्ष करीब
4. हणुता पुत्र स्व0 वोदूराम, उम्र 52 वर्ष करीब
5. गणपत पुत्र केशर, उम्र 33 वर्ष करीब
6. रुकमा देवी पत्नि केशर, उम्र 65 वर्ष करीब
7. प्रभात पुत्र स्व0 माना, उम्र 60 वर्ष करीब
8. बाबूलाल पुत्र स्व0 माना, उम्र 45 वर्ष करीब
9. मंगला पुत्र स्व0 माना, उम्र 40 वर्ष करीब
10. कैलाश पुत्र स्व0 माना, उम्र 35 वर्ष करीब

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. शाखा प्रबन्धक ओ0बी0सी0 बैंक शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. शाखा प्रबन्धक ओ0बी0सी0 बैंक शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन व प्रतिवादी मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

वादी का वाद डिकी फरमाया जाकर वाके ग्राम चेता का बास पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 1660, 1661, 1662, 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2027, 2031, 2034, 2042, 2043, 2044 कुल किता 15

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

का कुल रकबा 12.15 है0 भूमि तथा खसरा नं0 1659, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2016, 2023, 2024, 2025, 2026, 2030, 2032, 2033 कुल किता 15 का कुल रकबा 6.35 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भगवाना पुत्र बोदू के स्थान पर भगवाना उर्फ नारायण पुत्र बोदू की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.06.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा........... सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.06 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: